1/40589/2022

मा0 परिवहन मंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 24.05.2022 को सम्पन्न राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थितिः–

1. श्री अरविन्द सिंह ह्यांकी, सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. श्री एच0सी0 सेमवाल, सचिव, आबकारी विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्री वी0के0 सुमन, प्रभारी सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री अतर सिंह, अपर सचिव, गृह/लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. श्री अरूणेन्द्र सिंह चौहान, अपर सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. श्री एन0 के0 जोशी, अपर सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. श्री पी0 एस0 गर्ब्याल, अपर सचिव, आबकारी, उत्तराखण्ड शासन।
8. श्रीमती दीप्ति मिश्रा, उप सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. श्री दिनेश पुनेठा, अनु सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. श्री सूरज सिंह बिष्ट, अनु सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
11. श्री रणवीर सिंह चौहान, परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।
12. मुख्तार मोहसिन, पुलिस उप महानिरीक्षक/निदेशक, यातायात, उत्तराखण्ड।
13. श्री करन सिंह नगन्याल, पुलिस उप महानिरीक्षक, गढ़वाल।
14. श्री सनत कुमार सिंह, संयुक्त परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
15. श्री सुधांशु गर्ग, उप परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग।
16. श्री के0पी0 उप्रेती, मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
17. श्री वी0एस0 खरे, मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, एम0ओ0आर0टी0एच0।
18. डॉ0 अनीता चमोला, सहायक परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
19. कर्नल संदीप सुधेरा, अधिशासी निदेशक, एन0एच0आई0डी0सी0एल0।
20. श्रीमती आशा पैन्यूली, संयुक्त निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0।
21. डॉ भागीरथी जंगपांगी, अपर निदेशक, स्वास्थ्य विभाग।
22. श्री एस0एस0 मंजूनाथ नायक, अधीक्षण अभियन्ता, शिवालिक वृत्त, बी0आर0ओ0।
23. श्री अंकित सोलंकी, अधीक्षण अभियन्ता, एन0एच0आई0डी0सी0एल0।
24. श्री हरीश पांगती, वरिष्ठ अभियन्ता (एन0एच0)।
25. श्री राज कुमार, अधिशासी अभियन्ता, शिवालिक वृत्त, बी0आर0ओ0।
26. श्री सौरभ सिंह, अधिशासी अभियन्ता, एम0ओ0आर0टी0एच0।
27. डॉ0 सुजाता सिंह, सहायक निदेशक, स्वास्थ्य विभाग।
28. श्री प्रकाश श्रीवास्तव, प्रबन्धक, एन0एच0ए0आई0।
29. श्री जगमोहन सैनी, उप निदेशक, शिक्षा विभाग।
30. श्रीमती मधुबाला रावत, उप निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0।
31. श्रीमती अंकिता जोशी, सहायक निदेशक, शहरी विकास निदेशालय।
32. श्री मयंक शेखर झा, उप वन संरक्षक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
33. डॉ0 राकेश शर्मा, सहायक निदेशक चिकित्सा, लीड एजेन्सी।
34. श्री नरेश संगल, सहायक निदेशक, लीड एजेन्सी।
35. श्री पदमेन्द्र सिहं बर्त्वाल, सहायक निदेशक, लीड एजेन्सी।
36. श्री अविनाश चौधरी, निरीक्षक, लीड एजेन्सी उत्तराखण्ड।
37. श्री निखिलेश नौटियाल, साईट इंजीनियर, एन0एच0ए0आई।
38. श्री आनन्द कुमार जायसवाल, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, मुख्यालय।
39. श्री शिवा, सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।

1

Generated from eOffice by RAJENDRA PRASAD DOBHAL, SO-TRANSPORT-RPD, SO-TRANSPORT, Transport Department on 07/06/2022 03:51 PM

Scanned by CamScanner

40. श्री भरत सिंह, सहायक अभियन्ता, शहरी विकास निदेशालय।
41. श्रीमती नीता भण्डारी, प्रशासनिक अधिकारी, परिवहन विभाग।
42. श्री विनय, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।

बैठक में सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा मा0 परिवहन मंत्री जी एवं उपस्थित अधिकारियों का स्वागत किया गया। बैठक में उपस्थित अधिकारियों का परिचय प्राप्त करते हुए मा0 मंत्री जी द्वारा बैठक का औपचारिक शुभारम्भ किया गया। सचिव, परिवहन द्वारा मा0 उच्चतम् न्यायालय द्वारा सेवानिवृत्त मा0 न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित सड़क सुरक्षा समिति द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों एवं उनके अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही का संक्षिप्त परिचय दिया गया। मा0 मंत्री जी को अवगत कराया गया कि राज्य में सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद, अनुश्रवण समिति, लीड एजेन्सी एवं जिला सड़क सुरक्षा समितियों का गठन किया गया है। राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की वर्ष में 02 बैठकें निर्धारित की गयी है, जिसके क्रम में वर्ष 2022 की प्रथम बैठक आहूत की जा रही है।

2– राज्य में सड़क दुर्घटनाओं के ऑकड़े एक ही प्लेटफार्म पर संकलित किय जाने के दृष्टिगत सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार Integrated Road Accident Database (iRAD) परियोजना तैयार की गयी है। उक्त परियोजना के क्रियान्वयन एवं वर्कफ्लो के सम्बन्ध में श्री संजय गुप्ता, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी द्वारा एक प्रस्तुतीकरण दिया गया। अवगत कराया गया कि परियोजना में मुख्य रूप से 04 स्टेक होल्डर पुलिस विभाग, परिवहन विभाग, लोक निर्माण विभाग एवं चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग हैं, उक्त चारों विभागों द्वारा पोर्टल पर सूचनाएं अंकित किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

3– मा0 परिवहन मंत्री जी द्वारा उक्त परियोजना का औपचारिक शुभारम्भ करते हुये निर्देश दिये गये कि उक्त योजना को पूर्ण गम्भीरता के साथ लागू किया जाए। मा0 मंत्री जी द्वारा आशा व्यक्त की गयी कि उक्त योजना के लागू होने से राज्य में घटित सड़क दुर्घटनाओं के कारणों का गहराई से विश्लेषण किया जा सकेगा, जिसके आधार पर भविष्य की कार्ययोजना तैयार करने और दुर्घटनाओं से होने वाली जनहानि को कम करने में मदद मिलेगी।

4– डॉ0 अनीता चमोला, सहायक परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड द्वारा "सड़क सुरक्षा एक पहल" पुस्तिका के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण दिया गया। अवगत कराया गया कि मा0 उच्चतम् न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति द्वारा स्कूली छात्र–छात्राओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से पाठ्यक्रम में ही सड़क सुरक्षा विषय को सम्मिलित किया जाए। इसी क्रम में परिवहन विभाग द्वारा कक्षा 12 तक के छात्र–छात्राओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु पाठ्य सामग्री का सम्पादन करते हुए मुद्रित कराया गया है। मा0 परिवहन मंत्री जी द्वारा पुस्तक का विमोचन करते हुए आशा व्यक्त की गयी कि उक्त पाठ्य सामग्री से बचपन से ही बच्चों में सड़क सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता बढेगी, जो राज्य में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में सहायक होगी।

5– श्री सनत कुमार सिंह, संयुक्त परिवहन आयुक्त/अध्यक्ष, लीड एजेन्सी द्वारा विगत 05 वर्षों में राज्य में घटित सड़क दुर्घटनाओं का वर्षवार, जनपदवार, वाहन की श्रेणीवार, मार्ग के क्षेत्रवार विवरण प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक दिनांक 27–07–2021 में दिये गये निर्देशों पर कृत कार्यवाही का विवरण भी प्रस्तुत किया गया। संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है:–

Generated from eOffice by RAJENDRA PRASAD DOBHAL, SO-TRANSPORT-RPD, SO-TRANSPORT, Transport Department on 07/06/2022 03:51 PM

Scanned by CamScanner

(1) वर्ष 2021 में राज्य में 1405 वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुए, जिनमें 820 व्यक्तियों की मृत्यु एवं 1091 व्यक्ति घायल हुए। इसी प्रकार वर्ष 2022 में माह अप्रैल, तक कुल 517 वाहन दुर्घटनाओं में 318 व्यक्तियों की मृत्यु एवं 467 व्यक्ति घायल हुए है।

(2) जनपदवार विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर एवं नैनीताल में सर्वाधिक दुर्घटनाएं घटित हुई है। पर्वतीय जनपदों में सर्वाधिक दुर्घटनाएं टिहरी जनपद में हुयी है।

(3) ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के आधार पर विगत वर्ष 2021 में 1405 दुर्घटनाओं में से 673 दुर्घटनाएं शहरी क्षेत्र में एवं 732 दुर्घटनाएं ग्रामीण क्षेत्र में घटित हुई है। इसी प्रकार वर्ष 2022 में माह अप्रैल तक घटित 517 दुर्घटनाओं में से 242 दुर्घटनाएं शहरी क्षेत्र में एवं 275 दुर्घटनाएं ग्रामीण क्षेत्र में हुई है।

(4) लोक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार रोड मार्किंग हेतु चिन्हित सड़कों में से 63.78 प्रतिशत पर, रोड साईनेज हेतु चिन्हित सड़कों में 56.78 प्रतिशत पर कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

(5) राष्ट्रीय राजमार्गों पर 19 स्थानों पर प्रस्तावित ट्रक ले–बाई में से 12 पर एवं 18 स्थानों पर प्रस्तावित व्यू प्वाईन्ट्स में से 08 पर निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है, जबकि 86 स्थानों पर बस ले–बाई/बस शेल्टर्स एवं 10 स्थानों पर व्यू प्वाईन्ट्स का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(6) राज्य में कुल 163 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किये गये थे, जिनमें से 117 में सुधारीकरण की कार्यवाही की चुकी है, जबकि 46 के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही गतिमान है। इसी प्रकार विभिन्न जनपदों में कुल 2533 दुर्घटना संभावित स्थलों में से 1593 का सुधार किया गया है, अवशेष 940 के सम्बन्ध में कार्यवाही गतिमान है।

(7) पुलिस विभाग द्वारा 616 अतिसंवेदनशील दुर्घटना संभावित स्थलों का चिन्हिकरण किया गया है, जिसकी सूची सम्बन्धित सड़क निर्माण एजेन्सीज को उपलब्ध करायी गयी है।

(8) लोअर हायर्रकी से अपर हायर्रकी वाली सड़कों पर स्पीड कामिंग उपायो के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि कुल चिन्हित 3816 जंक्शन्स में से 1220 में ट्रैफिक कामिंग उपाय पूर्ण कर लिये गये हैं।

(9) क्रैश बैरियर हेतु चिन्हित 5010 किमी के सापेक्ष अभी तक 3097 किमी0 में क्रैश बैरियर लगाये जा चुके हैं।

(10) लोक निर्माण विभाग के अभियन्ताओं को सड़क सुरक्षा आडिट के सम्बन्ध में निरन्तर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। विभाग में कार्यरत 1274 अभियन्ताओं में से अभी तक 614 को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। अवशेष अभियन्ताओं को भी वार्षिक कलेण्डर बनाकर प्रशिक्षण प्रदान कराया जा रहा है।

(11) देहरादून, हरिद्वार एवं रूद्रपुर में कुल 60 स्थानों पर अनाधिकृत मीडियन्स खुले पाये गये थे, जिनमें से 48 को बन्द कर दिया गया है।

(12) आटोमेटिड ड्राईविंग टेस्ट ट्रैक के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि प्रत्येक संभागीय/उपसंभागीय परिवहन कार्यालय में चालकों की परीक्षा हेतु टेस्ट ट्रैक का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में हरिद्वार में टेस्ट ट्रैक का निर्माण पूर्ण हो गया है, जबकि देहरादून में निर्माण कार्य गतिमान है। इसके अतिरिक्त ऋषिकेश, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, कोटद्वार एवं काशीपुर में भूमि प्राप्त हो गयी है जबकि

Generated from eOffice by RAJENDRA PRASAD DOBHAL, SO-TRANSPORT-RPD, SO-TRANSPORT, Transport Department on 07/06/2022 03:51 PM

Scanned by CamScanner

NO. IP1-MISC/MISC/34/2022-IX-1-Transport Department (Computer No. 26390)

विकासनगर, रूद्रप्रयाग, बागेश्वर एवं टिहरी में भूमि का चयन कर लिया गया है, जिन्हें विभाग के नाम हस्तान्तरण कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

(13) वर्तमान में चालकों की परीक्षा देहरादून में आईडीटीआर में HAMS के माध्यम से ली जा रही है। उक्त योजना परिवहन विभाग द्वारा माईक्रोसाफ्ट के सहयोग से तैयार की गयी है। इस माड्यूल में लगभग 19 पैरामीटर पर चालकों की परीक्षा ली जाती है। उक्त माड्यूल को भविष्य में हरिद्वार एवं अन्य स्थानों पर बनने वाले टेस्ट टैक पर लागू करने का प्रस्ताव है।

(14) वाहनों की फिटनेस आटोमेटिड रूप में लिये जाने के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा दिनांक 01–04–2023 से वाहनों की फिटनेस आटोमेटिड टेस्टिंग लेन पर लिया जाना अनिवार्य किया गया है। राज्य में उक्त व्यवस्था को लागू किये जाने हेतु देहरादून एवं रूद्रपुर में निजी क्षेत्र में 02 टेस्टिंग लेन की स्थापना की प्रारम्भिक अनुमति निर्गत की गयी है। इसके अतिरिक्त हरिद्वार एवं हल्द्वानी में उक्त लेन की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रूपये 2.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी है। उक्त दोनों स्थानों को क्रमशः ऋषिकेश एवं कोटद्वार में स्थानान्तरित किये जाने का प्रस्ताव है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में मोबाईल टेस्टिंग लेन लगाये जाने का प्रस्ताव है।

(15) प्रवर्तन की कार्यवाही के अन्तर्गत परिवहन एवं पुलिस विभाग द्वारा वर्ष 2021 में कुल 626325 वाहनों का चालान कर रूपये 51.89 करोड़ की धनराशि प्रशमन शुल्क के रूप में वसूले गये है। इसी प्रकार वर्ष 2022 में माह अप्रैल, तक कुल 179277 वाहनों का चालान कर रूपये 18.00 करोड़ प्रशमन शुल्क के रूप में वसूले गये। वर्ष 2021 में चालक लाईसेन्स के विरूद्ध प्राप्त 38404 संस्तुतियों के सापेक्ष 30030 लाईसेन्सों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।

(16) राज्य में वर्तमान में 258 सरकारी एवं 272 ईएमआरआई (108) के अन्तर्गत संचालित एम्बुलेन्स हैं। समस्त सरकारी एवं 108 एम्बलेन्स को इन्टीग्रेट किये जाने के सम्बन्ध में समस्त मुख्य चिकित्साधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य में वर्तमान में 16 ट्रामा सेन्टर्स स्थापित हैं, जिनमें से 13 क्रियाशील है।

6– **बैठक में विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त मा. परिवहन मंत्री जी के द्वारा निम्नवत् निर्देश दिये गयेः–**

(1) बैठक में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद में नामित अधिकारियों द्वारा स्वयं प्रतिभाग न करके अधीनस्थ अधिकारियों को बैठक में भेजा गया है, तो उचित नहीं है। राज्य सड़क सुरक्षा परिषद सड़क सुरक्षा के संबंध में राज्य में उच्च स्तरीय संस्था है, अतः इसमें नामित अधिकारियों को स्वयं प्रतिभाग करना चाहिए।

(2) सभी सड़क निर्माण इकाईयॉ ब्लैक स्पॉट, दुर्घटना संभावित स्थल, रोड मार्किंग, साईनेज, क्रैश बैरियर, रोड सेफ्टी आडिट, स्पीड कामिंग उपायों के सम्बन्ध में अद्य तन स्थिति की सूचना सहित विस्तृत विवरण तत्काल लीड एजेन्सी को उपलब्ध करायी जाये। प्रस्तुत सूचना में कुल चिन्हित स्थान, किये गये कार्य (लॉग टर्म, शॉर्ट टर्म), अवशेष कार्यों को पूरा करने के लिये क्या कार्ययोजना/समय सीमा है, आदि का विवरण अंकित किया जाए।

4

Generated from eOffice by RAJENDRA PRASAD DOBHAL, SO-TRANSPORT-RPD, SO-TRANSPORT, Transport Department on 07/06/2023 01:51 PM

Scanned by CamScanner

(3) सड़कों की दशा सुधारने के सम्बन्ध में और उन पर आवश्यकतानुसार सड़क सुरक्षा उपाय यथा–क्रैश बैरियर, रोड मार्किंग, साईन बोर्ड, स्पीड कामिंग उपाय, चालक के विश्राम स्थलों का विकास आदि कार्य भी समयबद्ध रूप में किये जाने चाहिए। इस सम्बन्ध में जो कार्य गतिमान है, उन्हें बरसात से पूर्व पूर्ण कर लिया जाए और जिन मामलों में अभी डीपीआर बन रही है, उनमें डीपीआर तैयार करते हुए कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर प्रारम्भ की जाए।

(4) बस स्टॉप पर भी पेयजल, चिकित्सा सुविधा, शौचालय एवं सीसीटीवी की स्थापना की जाये।

(5) मार्गों के किनारे स्थापित ऐसे होर्डिंग्स जो वाहन चलाने की दृष्टि से खतरनाक हैं, को सम्बन्धित विभागो से समन्वय करते हुए हटवाया जाए।

(6) सड़क सुरक्षा केवल परिवहन, पुलिस या लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, अपितु यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है और इसमें जन सामान्य की सहभागिता से ही सड़क सुरक्षा को बढावा दिये जाने पर जागरूक किया जाये।

(7) लोगों की जिन्दगी बचाना हम सबका दायित्व है और इस दायित्व की पूर्ति हेतु स्थानीय लोगों को और अधिक जागरूक एवं प्रशिक्षित किये जाने की आवश्यकता है।

(8) पहाड़ो पर अधिकतर दुर्घटनाएं ओवर स्पीडिंग, चालक को नींद आ जाने/थकान हो जाने अथवा किसी मार्ग पर लम्बे जाम के बाद वाहन चालकों द्वारा प्रतिस्पर्धा करते हुए तीव्र गति से वाहन चलाना भी है। अतः इस सम्बन्ध में विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

(9) हमे यह प्रयास करने चाहिए कि दुर्घटना में कमी लायी जाए परन्तु फिर भी कहीं दुर्घटना हो जाती है तो हमारी पहली प्राथमिकता प्रभावित व्यक्ति को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना होनी चाहिए, ताकि उसकी जिन्दगी बचायी जा सके।

(10) परिवहन विभाग, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग को सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रमों में वृद्धि की जाए। इस सम्बन्ध में स्थानीय लोगों/एन0जी0ओ0 आदि का भी सहयोग लिया जाए।

(11) जिला सड़क सुरक्षा समितियों की बैठक निर्धारित रोस्टर के अनुसार सम्पन्न की जाएं।

(12) अधिकारियों को क्षेत्रों में जाना चाहिए और मौके पर चल रहे सड़क सुधार के कार्यों को अपनी निगरानी में पूर्ण कराना चाहिए। कई मामलों में शासन स्तर पर डीपीआर में संशोधन का सुझाव दिया जाता है, इस प्रक्रिया में काफी समय बर्बाद हो जाता है, अतः निर्माण एजेन्सी द्वारा ऐसे मामलों में संशोधन का प्रस्ताव तत्काल शासन को उपलब्ध कराते हुए कार्यवाही की जाए।

(13) जिन मामलों में सी0आर0एफ0 के अन्तर्गत भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किये जाने हों, वें निर्धारित समय सारणी के अनुसार भारत सरकार को प्रेषित किये जाएं, ताकि भारत सरकार से समय से स्वीकृति प्राप्त करते हुए कार्य कराये जा सकें।

(14) हरिद्वार में निर्मित आटोमेटिड ड्राईविंग टेस्ट ट्रैक का संचालन HAMS योजना के आधार पर आईडीटीआर सोसायटी के माध्यम से किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

Generated from eOffice by RAJENDRA PRASAD DOBHAL, SO-TRANSPORT-RPD, SO-TRANSPORT, Transport Department on 07/06/2022 03:51 PM

5

Scanned by CamScanner

अन्त में बैठक मा. मंत्री जी एवं अन्य प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्पन्न हुई।

Signed by Arvind Singh Hyanki
Date: 06-06-2022 13:41:02

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्याः /ix-1/2022–20(03)/2021
देहरादून : दिनांक 07 जून, 2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वरिष्ठ निजी सचिव, मा0 परिवहन मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, गृह/शिक्षा/चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/लोक निर्माण विभाग/शहरी विकास विभाग/आबकारी विभाग/सूचना प्रौद्योगिकी विभाग/वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय, देहरादून।
5. परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
8. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. महानिदेशक, शिक्षा निदेशालय, देहरादून।
10. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, देहरादून।
11. निदेशक, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड।
12. पुलिस उपमहानिरीक्षक/निदेशक यातायात, पुलिस मुख्यालय, देहरादून।
13. रीजनल ऑफिसर, एनएचएआई, उत्तराखण्ड रीजन।
14. कमाण्डेन्ट सीमा सड़क संगठन, प्रोजेक्ट शिवालिक, आई.डी.पी.एल., वीरभद्र ऋषिकेश।
15. कमाण्डेन्ट, सीमा सड़क संगठन, प्रोजेक्ट हीरक रई, पिथौरागढ़।
16. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला सड़क सुरक्षा समिति, उत्तराखण्ड।
17. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
18. समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी, (प्रशासन/प्रवर्तन/सड़क सुरक्षा) उत्तराखण्ड।
19. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी/सचिव, जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति, उत्तराखण्ड।

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
सचिव।

Scanned by CamScanner